भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 369
दिनांक 2 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

369. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत किये जा सकने वाले आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण कार्यों के प्रकार क्या हैं तथा ऐसी परियोजनाओं के चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान एनडीएमएफ के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं और कार्यों का विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त राज्य के आकांक्षी जिले धाराशिव का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान एनडीएमएफ के अन्तर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सक्रियता के संदर्भ में एनडीएमएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार आपदा कम करने की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अंतर-राष्ट्रीय एजेंसियों/वैज्ञानिक संस्थानों/निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शमन की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए समुदाय आधारित स्थानीय पहलों के लिए, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत निधि

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 369, दिनांक 02.12.2025

प्रावधानों की सिफारिश ऐसे दृष्टिकोण के अनुसरण में की जो लचीले उपायों के माध्यम से जोखिमों के साथ समायोजन को बढ़ावा देता है।

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2022 को एनडीएमएफ के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। दिशानिर्देश में एनडीएमएफ के अंतर्गत की जाने वाली शमन परियोजनाओं के लिए मानदंड बताए गए हैं। दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, एनडीएमएफ खास तौर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष की दिनांक 12.01.2022 के दिशानिर्देश में शामिल आपदाओं से जुड़े शमन परियोजनाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त, हीटवेव और आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति को कम करने के उपाय भी एनडीएमएफ से किए जा सकते हैं। एनडीएमएफ के दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एनडीएमएफ के अंतर्गत राज्यों की शमन परियोजनाएँ /कार्यक्रम जोखिम प्रवणता (क्षेत्र और जनसंख्या) तथा संकट और संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर विचारार्थ लिए जाते हैं ।

इसके अलावा, एनडीएमएफ के तहत कुल 13,693 करोड़ रुपये के आवंटन में से, पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात बारह सबसे अधिक सूखा-प्रवण राज्यों को उत्प्रेरक सहायता; दस पहाड़ी राज्यों में भूकंप और भूस्खलन जोखिम प्रबंधन, सात सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम को कम करना और कटाव को रोकने के लिए बचाव के उपाय के लिए 5,950 करोड़ रुपये का निधि आवंटन निर्धारित किया है ।

(ख) से (घ): केंद्र सरकार द्वारा भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल की व्यापक हानि को रोकने के लिए देश में प्रभावी शमन उपाय सुनिश्चित करने हेतु कई पहलें की गईं हैं। एनडीएमएफ के तहत कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत परियोजनाएं और कार्य तथा इसके लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

राज्य सरकार को SDMF के तहत राज्य के किसी भी भूभाग/क्षेत्र/जिले में शमन गतिविधि करने के लिए फंड दिया गया है। राज्य SDMF से धाराशिव जिले के लिए विशिष्ट परियोजना कर सकता है।

(ङ) से (च): भारत आपदा प्रबंधन पर वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) का एक हस्ताक्षरकर्ता है और व्यवस्थित और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 369, दिनांक 02.12.2025

एनडीएमएफ के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों में सेंडाई फ्रेमवर्क के संकेतकों पर आधारित एक रूपरेखा तंत्र का प्रावधान है, जिसमें मृत्यु दर को कम करना, सामुदायिक पुनर्प्राप्ति और रेजिलिएंस का समर्थन करना और आपदा सहायता में सुधार करना शामिल है। एनडीएमएफ के तहत प्रत्येक परियोजना/कार्यक्रम के उद्देश्य के आधार पर संकेतकों का विशिष्ट सेट निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते समय वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय जल आयोग, आपदा रोधी अवसंरचना संघटन आदि के साथ सहयोग करता है।

***

अनुलग्नक-I

विशेष रूप से महाराष्ट्र में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत शमन परियोजनाओं का विवरण, साथ ही आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण।

कार्यक्रम /परियोजना/ योजना	कुल वित्तीय परिव्यय उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित	महाराष्ट्र के लिए कुल वित्तीय परिव्यय अनुमोदित	महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से स्वीकृत केंद्रीय अंश	महाराष्ट्र के लिए जारी
शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम [मुंबई और पुणे के लिए]	3075.65	994.40	750.00	225.00
भूस्खलन जोखिम शमन के लिए कार्यक्रम [महाराष्ट्र सहित 15 राज्य]	1000.00	100.00	90.00	-
बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम [महाराष्ट्र सहित 12 राज्य]	2022.16	174.10	100.00	50.00
सर्वाधिक आकाशीय बिजली प्रवण 50 जिलों में आकाशीय बिजली सुरक्षा हेतु शमन परियोजना [महाराष्ट्र सहित 10 राज्य]	186.78	14.28	12.11	-
वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना [महाराष्ट्र सहित 19 राज्य]	818.92	53.60	48.73	-

***